

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ,सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल- secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

// अधिसूचना //

नवा रायपुर अटल नगर ,दिनांक 14/10/2022

क्रमांक / 54 / 04 / योजना / बीओसी / 2022 / 122 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ0ग0 भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित "नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना" में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 46 दिनांक 31.01.2017 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है :-

(क) योजना का प्रावधान :-

1. योजना का नाम "मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना" होगा।
2. योजना के तहत मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के प्रथम दो बच्चों को ही योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा।
3. प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम के समक्ष उल्लेखित "छात्रवृत्ति" राशि एकमुश्त वार्षिक देय होगी।

क्र0	कक्षावार विवरण	वार्षिक छात्रवृत्ति राशि	
		छात्र	छात्रा
1.	कक्षा 1 से 5 वीं तक	1,000	1,500
2.	कक्षा 6 वीं से 8 वीं तक	1,500	2,000
3.	कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक	2,000	3,000
4.	स्नातक कक्षा जैसे, बी0ए0 / बी0एस0सी0 / बी0कॉम / आई0टी0आई डिप्लोमा आदि	3,000	4,000
5.	स्नातकोत्तर कक्षा जैसे, एम0ए0 / एम0एस0सी0 / एम0कॉम0 / स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि	5,000	6,000
6.	स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् होने पर	6,000	8,000
7.	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में अध्ययन, पी0एच0डी0 या शोध कार्य करने पर	8,000	10,000

4. योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

निरंतर.....2

(ख) योजना हेतु पात्रता :-

1. योजना के लाभ हेतु अंको की बाध्यता नहीं होगी।
2. यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात् इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम 01 वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी, 01 वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी।
3. आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हितग्राही कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत् हो।

(ग) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

1. योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से स्वयं/किसी भी च्वाइस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
 2. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि – शैक्षणिक सत्र प्रारंभ दिनांक से 31 दिसंबर तक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत की जावेगी।
 3. योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज :-
 - 5.1 हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की मूल स्कैन प्रति।
 - 5.2 हितग्राही श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों के आधार कार्ड मूल स्कैन प्रति।
 - 5.3 निर्धारित प्रारूप में प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल स्कैन प्रति।
(अधिसूचित प्रपत्र में जिसमें जारी प्रमाण पत्र सरल क्रमांक एवं दिनांक अंकित हो एवं वर्तमान अध्ययनरत वर्ष में प्रवेश लिए जाने की पुष्टि हो।)
 - 5.4 विगत कक्षा उत्तीर्ण किए जाने की अंक सूची की मूल स्कैन प्रति।
 - 5.5 बैंक पासबुक की मूल स्कैन प्रति।
- टीप :-ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) स्वीकृति का अधिकार :-

योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/ श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक को होगा।

(ङ) भुगतान की प्रक्रिया :-


योजना के स्वीकृति पश्चात् हितग्राही अथवा उनके पुत्र/पुत्रियों के खाते में योजनांतर्गत प्रावधानित राशि आरटीजीएस/एनईएफटी/डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जावेगी।

(च) विसंगति का निराकरण :-

इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कोई विसंगति होने की स्थिति में सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

उपरोक्त अधिसूचना, अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)


(सविता मिश्रा)
सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14/10/22

पृ0कमांक / 54 / 04 / योजना / बीओसी / 2022 / 4392
प्रतिलिपि :- 4407

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, ब्लॉक-A, एकात्म पथ, सेक्टर-24, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, खण्ड-03, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
5. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
6. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
7. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
9. समस्त, जिला-कलेक्टर,(छ0ग0)।
10. समस्त, सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ0ग0)।
11. समस्त, उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय(छ0ग0)।
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
15. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
16. गार्ड फाईल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

12/10/2022
सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
अंतर्गत संचालित
मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना हेतु प्रमाण पत्र प्रारूप

प्रमाण पत्र सरल क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रवेश क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा.....

पिता-माता का नाम.....

छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत (छात्र/छात्रा के
माता/पिता का पंजीयन क्रमांक.....दिनांक.....)

निवासी.....

विद्यालय/महाविद्यालय का नामवर्तमान में

वर्ष..... में अध्ययनरत है एवं विगत वर्षमें कक्षा..

.....में.....उत्तीर्ण/प्रतिशत/ग्रेड.....प्राप्त

किया है।

उक्त जानकारी सत्य है, यदि किसी भी तरह से मेरे द्वारा दी गई जानकारी
असत्य पाये जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी एवं देय छात्रवृत्ति राशि
निरस्त किया जा सकता है।



प्राचार्य/प्रधानपाठक
सील एवं हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
पी.3 सी. 244,245, हाउसिंग बोर्ड कालोनी नया रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 23/01/2017

क्रमांक.....4.6..... भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना " नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना" में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचना/आदेश को शिथिल करते हुये निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है ।

(3) नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना :-

(अ) योजना का प्रावधान :-

- (i) योजना का नाम छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना होगा।
- (ii) योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक के प्रथम दो बच्चों को ही योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा,
- (iii) प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम के समक्ष उल्लेखित "छात्रवृत्ति" राशि एक मुश्त देय होगी।

क्र०	कक्षावार विवरण	वार्षिक छात्रवृत्ति राशि	
		छात्र	छात्रा
1.	कक्षा 1 से 5 तक	1000	1500
2.	कक्षा 6 वीं से 8 वीं	1500	2000
3.	9 वीं से 12 वीं	2000	3000
4.	स्नातक कक्षा जैसे बी०ए०/बी०एस०सी०/बी०कॉम/आई टी आई डिप्लोमा आदि	3000	4000
5.	स्नातकोत्तर कक्षा जैसे एम०ए०/एम०एस०सी०/एम०कॉम०/स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि	5000	6000
6.	स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने पर	6000	8000
7.	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में अध्ययन, पी०एच०डी० या शोध कार्य करने पर	8000	10000

(iv) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :-

(i) योजना के लाभ हेतु अंको की वाध्यता नहीं होगी।

(ii) यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात् इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम एक वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी, एक वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी।

(iii) ऐसा मेधावी छात्र/छात्रा यदि अन्य शासकीय विभाग/संस्था की किसी योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो वह किसी एक योजना का चयन कर सकता है, जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद हो, किन्तु किसी भी परिस्थिति में वह दो योजनाओं का एक साथ लाभ नहीं उठा सकता है।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

(i) योजना के अंतर्गत पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा ऑन लाईन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किये जावेगे।

(द) स्वीकृति का अधिकार :-

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक, श्रम उप निरीक्षक को होगा।

(ई) भुगतान की प्रक्रिया :-

(i) योजना के स्वीकृति पश्चात् हितग्राही अथवा उनके पुत्र/पुत्रियों के खातों में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से राशि स्थानांतरित की जावेगी।

(फ) अन्य वितरण :-

(i) इस योजना के संबंध में कोई विरसंगति होने पर, मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

उपरोक्त अधिसूचना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी।
(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

पृ0क0 / / 2136 - 2144
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 31/01/17

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
6. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी (छ0ग0)
8. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (छ0ग0)
9. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर

अधिसूचना

दिनांक...27/11/12

क्रमांक.....15..... भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2010/16, रायपुर, दिनांक 04.03.2010 में हिताधिकारियों के बच्चों के लिए नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना में (अ) योजना का प्रावधान में (ii) (एक) निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है :-

“नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना का लाभ (छात्रवृत्ति इत्यादि) बालश्रम परियोजना

में अध्ययनरत समस्त बच्चों को भी उनके कक्षा के अनुरूप छात्रवृत्ति देय होगा।”

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 06.06.2012 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगी।

(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

रायपुर, दिनांक 27/11/12

पृ0क्र0 / / 5275-5310

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
6. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)

सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी
(छ0ग0)

8. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
(छ0ग0)

9. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित
कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन
उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल